न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 124/2016

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
श्रीमती समूडी पत्नी सीताराम जाति बावरी निवासी मुण्डवा तहसील मुण्डवा।		1गणपत पुत्र घासीराम जाति खटीक निवासी मुण्डवा। 2सोनाराम पुत्र हजारीराम जाति बावरी निवासी मुण्डवा। 3तहसीलदार नागौर हाल मुण्डवा तहसील मुण्डवा।

उपस्थिति –

1श्री भगवानराम सारस्वत, वकील अपीलांट की ओर से।
2श्री अर्जुनदास, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3श्री रिद्धकरण धोलिया, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।
4श्री कुन्दन सिंह आचीणा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.12.17

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा ग्राम मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 2820 दिनांक 21.11.13 से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.8.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 29.08.16 को मियाद का बिन्दु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 की ओर श्री अर्जुनदास अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से रिद्धकरण धोलिया अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस शुरू करते हुए बताया कि –

{2}(I)–अपीलार्थी को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी शुरू से नही थी। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा वर्तमान वर्ष में बारिश होने पर दिनांक 28.7.16 को खेत पर जबरन अपीलार्थी के कब्जे में दखल करने की कोशिश की व खेत उसके स्वयं की खातेदारी में होना बताया जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 29.7.16 को खतोनी की नकल तहसील मुण्डवा से प्राप्त करने पर उसमे दर्ज नामान्तरकरण का इन्द्राज होने से जानकारी हुई तब अपीलार्थी ने उक्त खतोनी के आधार पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर रेकर्ड बाबत पता करवाया व विक्रय पत्रो की नकले दिनांक 2.8.16 व 8.8.16 प्राप्त की व अन्य राजस्व रेकर्ड की नकले 3.8.16 को प्राप्त की तब नामान्तरकरण बाबत जानकारी होने पर नामान्तरकरण की नकल दिनांक 17.8.16 को प्राप्त होने पर संपूर्ण जानकारी हुई। दिनांक 18.8.16 को अवकाश होने से उक्त नामान्तरकरण आदेश के विरूद्व अपील दिनांक 19.8.16 को प्रस्तुत की गई।

{2}(II)–अपीलाधीन नामान्तरकरण व आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों परिस्थितियों व मौके की स्थिति के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं।

{2}(III)–उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय उक्त खेत की खातेदारी अपीलार्थी के नाम दर्ज रही है। इसलिये अपीलार्थी उक्त खेत की खातेदार काश्तकार दर्ज रही है। विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत करने व आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की सुनवायी का कोई अवसर नही दिया गया व न ही किसी प्रकार का कोई नोटिस ही जारी किया गया। जबकि अपीलार्थी को सुनवायी का अवसर दिया जाना आवश्यक था तथा बिना सुनवायी किये व बिना अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये अपीलार्थी की खातेदारी समाप्त नही की जा सकती थी। ऐसी स्थिति में विवादित अपीलाधीन नामान्तरकरण प्राकृतिक

अपर कलक्टर, नागौर

न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत जाकर बिना सुनवायी का अवसर दिये व बिना सुनवायी गलत रूप से स्वीकृत किया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों एवं न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व मौके पर कब्जे की कोई जांच नही की गई। विवादित खेत पर मौके पर कब्जा दिनांक 24.8.94 से लेकर आज दिन तक लगातार अपीलार्थी का है तथा नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय उसे पूर्व व उसके पश्चात से लेकर आज तक कब्जा काश्त अपीलार्थी का है तथा वर्तमान समय में उक्त खेत पर अपीलार्थी की बाजरी व मोठ काश्त की हुई है तथा मौके पर कब्जा अपीलार्थी का है। प्रत्यर्थी सं. 1 का कभी कब्जा काश्त नही रहा व न ही मौके पर कब्जा ही है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर कब्जे की जांच किये गलत रूप से नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। जो मौके की स्थिति के विपरीत व विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर स्वीकृत किया गया है। जो विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(V)–विवादित खेत अपीलार्थी का खरीदसुदा कब्जा सुदा स्वामित्व का खेत है। जिस पर कब्जा काश्त अपीलार्थी का है तथा निरंतर कब्जा व उपयोग अपीलार्थी का रहता आया है तथा अपीलार्थी का नाम खातेदारी में दर्ज रहता आया है तथा मौके पर कब्जा भी अपीलार्थी का है। फिर भी गलत विक्रय के आधार पर बिना कब्जा के प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम से उक्त नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया है। जो विधि सम्मत नही होने से व बिना मौके पर कब्जा होते हुए भरा गया है। जो विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(VI)–नामान्तरकरण के लिये आवश्यक तत्व मौके पर भौतिक कब्जा होता है तथा बिना कब्जे की जांच किये किसी भी प्रकार का नामान्तरकरण न तो स्वीकृत किया जा सकता है और न ही भरा जा सकता है। फिर भी बिना मौके की जांच किये व आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर विवादित नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत किया गया है। जो विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

{3}–रेस्पोडेन्ट नं. 1 के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विवादित खेत खसरा नं. 1498 रकबा 10.01 बीघा भूमि दिनांक 7.2.92 को रेस्पोडेन्ट गणपत द्वारा खातेदार सोनाराम से क्रय की हुई भूमि है। जिसकी पहले अपील भी हुई तथा फौजदारी मुकदमा भी हुआ। माननीय न्यायालय में अपील सं. 33/95 गणपत बनाम सोनाराम में निर्णय दिनांक 19.9.95 के अनुसार दोनो पक्षों में आपसी राजीनामे के आधार पर पूर्व नामान्तरकरण आदेश दिनांक 8.9.94 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया था। जिसकी पालना में नामान्तरकरण सं. 2820 जैर अपील दिनांक 21.11.13 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में स्वीकार किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अपीलांट पुनः अपील नही ला सकता है। यदि वो अपील करना चाहे तो भी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत विवादित मामलों में भू अभिलेख अधिकारी तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अपील निदेशक भू अभिलेख संभागीय आयुक्त को ही प्रस्तुत की जा सकती है। यहां ऐसी अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी इस न्यायालय को नही है। अपीलांट द्वारा अपील 3 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। देरी का कोई संतोषजनक कारण भी नही बताया गया है। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर भी अपील चलने योग्य नही है।

{4}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपील करीबन 3 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई संतोषजनक कारण नही है। इसलिये मियाद के बिन्दु पर अपील चलने योग्य नही है। अपीलाधीन आदेश बेचाननामा एवं न्यायालय आदेश की पालना में निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{5}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपीलांट द्वारा ग्राम मुण्डवा के खसरा नं. 1498 रकबा 10.01 बीघा नामान्तरकरण सं. 2820 जो कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.11.13 को स्वीकार किया गया है, से असंतुष्ट होकर यह अपील दिनांक 19.8.16 को प्रस्तुत की गई है। अपील करीब 3 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये प्रतिदिन का कारण बताना होता है। जबकि प्रस्तुत मामले में अत्यधिक विलंब के लिये कोई पर्याप्त कारण भी नही है। अपीलांट 3 वर्ष तक आदेश जैर अपील से अनभिज्ञ रही हो, ऐसा कोई ठोस आधार मियाद प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेजी आधार पर साबित नही है। आराजी भूमि को लेकर पूर्व में इसी न्यायालय में म्यूटेशन सं. 1134 दिनांक 8.9.94 के विरूद्व अपील प्रस्तुत हुई। जिसमें दोनो पक्षो ने आपसी राजीनामा के आधार पर आराजी भूमि

अपर कलक्टर, नागौर

का बेचानानामा दिनांक 7.2.92 के अनुसार गणपतराम के पक्ष में नामान्तरकण किये जाने में आपत्ति नही होने की स्थिति में प्रकरण दिनांक 19.9.95 को रिमांड किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माफिक विक्रय पत्र एवं न्यायालय आदेश वाद सं. 26/13 निर्णय दिनांक 18.11.13 की पालना में आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो विधिसम्मत प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{6}—उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

{7}—निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर